

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कुश कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1655

24 सितम्बर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त, जिसे अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया हो, सहकारी समिति चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है?
- क्या बिहार राज्य सहकारी समिति के संयुक्त निबंधक द्वारा पारित अयोग्यता संबंधी आदेश, 1958 अधिनियम की धारा 12 के प्रकाश में विधिसंगत था?

हेडनोट्स

याचिका- संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ के न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया।

निर्णीत: अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 अत्यंत स्पष्ट है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत नियंत्रित किया गया है, तो ऐसे दोषसिद्धि से उत्पन्न होने वाली कोई भी अयोग्यता उस पर लागू नहीं होगी। (कंडिका 34)

चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त 1958 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है, इसलिए धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, वह 'पैक्स' (पैक्स) के चुनाव में भाग लेने से

वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु वह अयोग्य नहीं था।
(कंडिका 36)

चूंकि वर्तमान में 'पैक्स' का अधिग्रहण हो चुका है, अतः याचिकाकर्ता को पूर्व पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। हालाँकि, भविष्य में उसे किसी भी चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उसे अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है।
(कंडिका 37)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ बनाम बक्शी राम, ए.आई.आर. 1990 एस सी. 987

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 323; अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 – धाराएं 3, 4, 12; बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935; बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 – नियम 8(ड), 9, 24(2); बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण अधिनियम, 2008 – धारा 13

मुख्य शब्दों की सूची

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम; धारा 12 अयोग्यता; पैक्स चुनाव; सहकारी समिति विवाद दोषसिद्धि और चुनाव अधिकार; समीक्षा याचिका; धारा 323 भा.दं.सं.; पैक्स का विघटन; न्यायिक समीक्षा; चुनावी पात्रता

प्रकरण से उत्पन्न

बिंदेश्वर सिंह बनाम प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोड़ासहन एवं अन्य – निर्वाचन विवाद संख्या 203/2020 एवं समीक्षा वाद सं. 11/2023

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता; श्री शिखर मणि, अधिवक्ता; श्री कनिष्क कौस्तुभ, अधिवक्ता; श्री रजनीश प्रकाश, अधिवक्ता; सुश्री लक्ष्मी कुमारी, अधिवक्ता; सुश्री ऋषभ गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरकर्ता की ओर से: श्री अतिरिक्त महाधिवक्ता (13)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1655

=====

कुश कुमार, पिता- रामचरित्र प्रसाद, निवासी वार्ड सं.- 13, डाकघर- झांझरा, थाना- घोड़ासहन,
 ग्राम- बरवा काला, जिला- पूर्वी चंपारण, बिहार-845303।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार सहकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार राज्य चुनाव प्राधिकरण, अपने मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
3. निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी-सह-मुख्य चुनाव अधिकारी, पूर्वी चंपारण, जिला- पूर्वी चंपारण।
5. जिला सहकारी अधिकारी, पूर्वी चंपारण, जिला- पूर्वी चंपारण।
6. उप विकास आयुक्त-सह-नोडल अधिकारी (पैक्स चुनाव), पूर्वी चंपारण, जिला- पूर्वी चंपारण।
7. प्रखंड विकास अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, घोड़ासहन प्रखंड, थाना- घोड़ासहन, जिला- पूर्वी चंपारण।
8. बरवाकल प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड, अपने अध्यक्ष/प्रबंधक बिदेश्वर सिंह के माध्यम से।
9. बिदेश्वर सिंह पिता- स्वर्गीय जागर नाथ, निवासी ग्राम- बरवा काला, डाकघर- झांझरा, थाना- घोड़ासहन, जिला- पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रणजीत कुमार, अधिवक्ता
		श्री शिखर मणि, अधिवक्ता
		श्री कनिष्क कौस्तुभ, अधिवक्ता
		श्री रजनीश प्रकाश, अधिवक्ता
		सुश्री लक्ष्मी कुमारी, अधिवक्ता
		सुश्री ऋषभ गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अपर महाधिवक्ता (13)

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक : 24-09-2024

पक्षों को सुना गया।

(क) प्रार्थना:

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

(i) कि वर्तमान रिट आवेदन बिंदेश्वर सिंह बनाम प्रखंड विकास अधिकारी में पटना में विद्वान संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार की न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.08.2022/13.10.2022 के आदेश को दरकिनार करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में दायर किया जा रहा है। घोड़ासहन और अन्य। जिसके द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता का चुनाव बिहार सहकारी समिति नियम, 1959 के नियम- 8(ड), 9 और 24(2) के आलोक में रद्द कर दिया गया है; इस आधार पर कि विद्वान न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया है, हालांकि वर्तमान याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा- 323 के तहत दोषी ठहराया गया है, हालांकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया है और वर्तमान याचिकाकर्ता को उचित चेतावनी और नम्र फटकार के बाद सजा से मुक्त कर दिया है और इसलिए वर्तमान आदेश नियम-8 (ड) का उल्लंघन है और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के उपनियम 7(6) का उल्लंघन है, (अनुलग्नक-

पी/8)।

(ii) कि वर्तमान रिट आवेदन संयुक्त निबंधक (मुख्यालय), सहकारी समितियां, पटना, बिहार के विद्वान न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.09.2023 के, 2023 के समीक्षा मामला सं 11, के आदेश को दरकिनार करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में दायर किया जा रहा है जिसके द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता की समीक्षा याचिका को बिदेश्वर सिंह बनाम प्रखंड विकास अधिकारी, घोड़ासहन और अन्य में पारित दिनांक 31-08 2022/13 10.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी जिसे याचिकाकर्ता के मामले के योग्यता पर विचार किए बिना विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है, इस आधार पर कि समीक्षा याचिका को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना पूरी तरह से गैर-स्थायी आधार पर खारिज कर दिया गया है और इस प्रकार यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, (अनुलग्नक-पी/9);

(iii) कि वर्तमान रिट आवेदन प्रखंड विकास अधिकारी-सह-चुनाव अधिकारी घोड़ासहन, पूर्वी चंपारण को वर्तमान याचिकाकर्ता को बरवाकल प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड (जिसे इसके बाद समिति/पृष्ठ के रूप में संदर्भित किया गया है) का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश जारी करने के लिए परमादेश की प्रकृति में दायर किया जा रहा है; इस आधार पर कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ा और पैक्स के चुनाव में सबसे अधिक मत हासिल

करने में सक्षम था;

((iv) और ऐसा कोई अन्य आदेश/आदेशों पारित करें जो इस माननीय न्यायालय को उचित और ठीक लगे।

(ख) याचिकाकर्ता का मामला :

4. वर्तमान याचिकाकर्ता बरवाकल प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड (अब से संक्षिप्त में 'पैक्स') के सदस्य हैं और उन्होंने 'पैक्स' चुनाव-2019 में भाग लिया था। वह सभी विरोधी सदस्यों के खिलाफ सबसे अधिक मत अर्थात् 802 प्राप्त करने में सफल रहा।

5. वर्तमान विवाद 'बड़वाकल पैक्स' के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पूरा होने के बाद अध्यक्ष पद पर नामांकन और नियुक्ति से संबंधित है। उक्त समिति बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (इसके बाद '1935 अधिनियम' से संदर्भित) के तहत पंजीकृत है और इसके व्यवसाय का संचालन 'उक्त अधिनियम' नियमों के साथ-साथ समिति द्वारा इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार किया जाता है।

6. तर्क यह है कि बिहार राज्य चुनाव प्राधिकरण (अब से संक्षिप्त में 'प्राधिकरण') ने मुख्य चुनाव अधिकारी, पटना के हस्ताक्षर के तहत अपने ज्ञापन सं. 1774 दिनांक 31.10.2019 को सभी जिला समाहर्ता-सह-जिला चुनाव अधिकारी, उप विकास आयुक्त-सह-नोडल अधिकारियों (पैक्स चुनाव), और प्रखंड विकास अधिकारी-सह-चुनाव अधिकारी, बिहार को निर्देश जारी किया कि सभी 'पैक्स' के लिए कुल पांच चरणों में चुनाव आयोजित करेंगे क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो रहा था।

7. उत्तरदाता सं.-9 ने 01.12.2019 को प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, घोड़ासहन को शिकायत दर्ज कराई कि वर्तमान याचिकाकर्ता को उक्त चुनाव लड़ने से इस आधार पर रोका जाए कि यद्यपि उसे परि.सं. 21/13/सा.पंजी. सं. 941/2008 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, लेकिन इसे आपराधिक अपील सं. 03/2014 में रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-

323 के तहत अंतिम रूप से दोषी ठहराया गया है और इस प्रकार वह आगामी पैक्स चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। तदनुसार, उसे 'पैक्स' के उपनियम- 7(6) के आलोक में रोका जाए।

8. आगे का तर्क यह है कि दिनांक 02.12.2019 वाले कार्यालय पत्र सं. 1685 में, प्रखंड विकास अधिकारी-सह-चुनाव अधिकारी, घोड़ासहन के हस्ताक्षर के तहत, वर्तमान याचिकाकर्ता को 2 घंटे के भीतर जारी कारण बताओ पर जवाब देने के लिए कहा गया था।

9. याचिकाकर्ता ने प्र.वि.अधि.-सह-चुनाव अधिकारी, घोड़ासहन की संतुष्टि तक उक्त कारण बताओ का विधिवत जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि हालांकि उसे भा.द.स. 1860 की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन उसी समय, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 (अब से संक्षिप्त में 1958 अधिनियम) की धारा 3 का लाभ विस्तार किया और भा.द.स. 1860 की धारा 323 के तहत सजा से परहेज किया। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह चुनाव लड़ने के योग्य है।

10. तदनुसार उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई जो 11.12.2019 को आयोजित किया गया था और परिणाम 12.12.2019 को घोषित किया गया था जिसमें सबसे अधिक मत पाने वाले याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया था।

11. चुनाव में दूसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उत्तरदाता सं. 9 ने पटना के विद्वान निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार के न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने और उत्तरदाता सं. 9 को 'घोड़ासहन पैक्स' का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करने का अनुरोध किया।

12. इसके बाद पटना के संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार की न्यायालय ने पक्षों को सुना और बिदेश्वर सिंह बनाम प्रखंड विकास अधिकारी, घोड़ासहन और अन्य में अपने आदेश दिनांक 31.08.2022/13.10.2022 को याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने पर खुशी हुई और उसे आगे बिहार सहकारी समिति नियम, 1959 (अब से संक्षिप्त में

‘नियम’) के नियम 8 (ड), 9 और 24(2) के आलोक में ‘पैक्स’ चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और आगे विद्वान न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि बिहार राज्य चुनाव प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (अब से संक्षिप्त रूप से ‘2008 अधिनियम’) की धारा-13 के आलोक में उत्तरदाता सं. 9, अर्थात् बिंदेश्वर सिंह को घोड़ासहन पैक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य पाया गया है।

13. याचिकाकर्ता ने विद्वान संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार, पटना के न्यायालय के समक्ष 20.01.2023 को एक समीक्षा आवेदन दायर किया जिसमें यह प्रस्तुत करते हुए कि आपराधिक अपील सं. 03/2014 में, भा.द.स. 1860 की धारा- 323 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बाद, ‘1958 अधिनियम’ के तहत लाभ दिया गया है और इसलिए उसी के तहत सजा से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, उक्त समीक्षा याचिका को परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

14. चूँकि याचिकाकर्ता को मतदाता सूची से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता की सदस्यता का सवाल चुनाव याचिका के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 2015 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 19687 में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) राज्य का उत्तर

15. जवाबी हलफनामा उत्तरदाता सं.-6 की ओर से में आया है और राज्य उत्तरदाता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि तिथि 16.08.2019 के बाद भी नामांकन पत्र दाखिल किया जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसने चुनाव लड़ा।

16. उत्तरदाता सं.-9 ने संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां बिहार, पटना के न्यायालय में वाद सं.-203/2020 दायर कर याचिकाकर्ता के चुनाव को कई आधारों पर

चुनौती दी, जिसमें नामांकन पत्र में आपराधिक मामले में दोषसिद्धि दर्शाना भी शामिल था।

17. मामले की सुनवाई करने और अभिलेख पर दायर कागजातों पर विचार करने के बाद, संयुक्त निबंधक ने माना कि याचिकाकर्ता को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता को उस तारीख को समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य पाया गया था जब उसे बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के नियम 8(6), 9 और 24(2) के संदर्भ में आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। नतीजतन, बरवाकला प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव दिनांक 13.10.2022 (रिट आवेदन का अनुलग्नक-पी/7) के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, रिट याचिका खारिज की जाए।

(घ) उत्तरदाता सं. 9 का उत्तर

18. इस मामले में 02.07.2024 को उत्तरदाता सं. 8 और 9 को सूचना जारी किए गए थे और उसके अनुसार, उत्तरदाता सं. 9 का जवाबी हलफनामा आ गया है। उसके अनुसार, चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किए जाने के बाद, उत्तरदाता सं. 9 ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर नामांकन पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन उत्तरदाता सं. 7, प्र.वि.आधी. सह निर्वाचन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

19. इसके बाद, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और 11.12.2019 को चुनाव पूरा होने के बाद, जिसका परिणाम 12.12.2019 को घोषित किया गया था, वह 16.12.2019 को अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, पूर्वी चंपारण के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर नामांकन पत्र और चुनाव परिणाम की प्रति को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, हालांकि जिसकी आपूर्ति नहीं की गई थी।

20. इसके बाद उत्तरदाता सं. 9 ने निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार, पटना के समक्ष चुनाव विवाद सं. 203/2020 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा

याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की गई। विद्वान निबंधक, सहकारी समितियां ने मामले को स्वीकार किया और इसे संयुक्त निबंधक सहकारी समितियां, बिहार, पटना के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्ता चुनाव मामले में पेश हुआ और लिखित बयान दायर किया। इस मामले के लंबित रहने के दौरान, श्रीमती. रामपट्टी देवी (उत्तरदाता सं. 6), महेंद्र सिंह उर्फ महिंद्रा कुमार, कृष्णा राय, श्रीमती माला देवी, श्रीमती गायत्री देवी, बदरूद्दीन और श्रीमती पंकाली देवी (चुनाव याचिका की उत्तरदाता सं. 10 से 14 और 16) ने 24.02.2022 को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार, संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां ने दिनांक 31.08.2022/13.10.2022 के एक आदेश के माध्यम से बड़वाकला पैक्स के अध्यक्ष कुश कुमार (याचिकाकर्ता) के चुनाव को रद्द कर दिया।

21. सहकारी समितियां के निबंधक के समक्ष एक समीक्षा याचिका (2023 का समीक्षा मामला सं. 11) दायर की गई जिसे संयुक्त निबंधक द्वारा 31.10.2023 पर परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

22. उत्तरदाता सं.9 के अनुसार याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने और अपील में दोषी ठहराए जाने के बाद, उसे नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस तरह आदेश सही ढंग से पारित किया गया था और अब जब 'पैक्स' को हटा दिया गया है, तो मामला केवल शैक्षणिक हित के लिए बना हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अतः रिट याचिका खारिज की जाए।

(ड) निष्कर्ष:

23. यह सच है कि अब 'पैक्स' को हटा दिया गया है, लेकिन इस मामले में पारित किसी भी आदेश का याचिकाकर्ता के मामले पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा कि क्या वह भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा या नहीं और आगे क्या '1958 अधिनियम' के आलोक में, उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता था।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले इस न्यायालय को अपील सं. 03/2014 सी.आई.एस. सं. 03/2014 [प्रशांत कुमार बनाम लव कुमार और कुश कुमार (यहां याचिकाकर्ता)] में दोषसिद्धि के आदेश की ओर ले गए। यह आदेश 16.08.2019 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिक्राना, मोतिहारी द्वारा परीक्षण सं. 21/2013 में पारित किए गए बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ पारित किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तों को धारा 323,504 के तहत और अभियुक्त लव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था।

25. अपीलीय न्यायालय ने कंडिका 19 से 21 में कहा कि.

19. इसलिए, विचार करने के बाद, मैंने पाया कि अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों लव कुमार और कुश कुमार के खिलाफ अपने मामले को भा.द.स. की धारा 323 के तहत सभी उचित संदेह की छाया से परे साबित करने में सक्षम रहा है और इसलिए दिनांक 05.12.2013 को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिक्राना, मोतिहारी सा.पंजी. सं. 941/2008 (परीक्षण सं. 21/2013) में पारित निर्णय को उस हद तक दरकिनार किया जाता है और दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को पाया जाता है और भा.द.स. की धारा 323 के तहत अपराधी ठहराया जाता है और दोनों को दोषी भी ठहराया जाता है।

20. जहां तक सजा का संबंध है, दोनों पक्ष सह-ग्रामीण हैं और उनके बीच चुनाव होता है और यह पाते हुए कि समान या अन्य गंभीर प्रकृति के किसी अन्य मामले में आरोपी व्यक्तियों को पहले से दोषी नहीं ठहराया गया है, मुझे दोनों आरोपी व्यक्तियों लव कुमार और कुश कुमार को अपराधी परिवीक्षा

अधिनियम की धारा 3 का लाभ देना उचित लगता है।

21. इस प्रकार, इस मामले के दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को भा.द.स. की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया जाता है, उन्हें संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष इस आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश पारित करे और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया को अपनाते हुए उचित चेतावनी के बाद दोनों आरोपी व्यक्तियों को रिहा करे।

26. आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और उसके भाई लव कुमार दोनों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत लाभ दिया गया था।

27. 'अधिनियम' की धारा 3 निम्नानुसार है:

3. चेतावनी के बाद कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति—जब किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध करने या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दो साल से अधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, और उसके खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय के द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र, मामले की

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना समीचीन है, फिर, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय उसे किसी भी सजा देने या धारा 4 के तहत अच्छे आचरण के परीक्षा पर रिहा करने के बजाय, उसे उचित चेतावनी के बाद रिहा कर सकती है।

28. इसके अलावा, 'उक्त अधिनियम' की धारा 12 दर्ज करती है कि यदि कोई व्यक्ति को दोषी पाया जाता है और धारा 3 या 4 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाता है, तो उसे अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।

39. '1958 अधिनियम' की धारा 12 निम्नानुसार है:

12. **दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाना-** किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी हो इसके बावजूद, किसी अपराध का दोषी पाया गया व्यक्ति और धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के तहत सुनवाई किया गया व्यक्ति, यदि कोई हो, तो ऐसे कानून के तहत अपराध की दोषसिद्धि के लिए अयोग्यता का सामना नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जिसे धारा 4 के तहत उसकी रिहाई के बाद मूल अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है।

30. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि '1958 अधिनियम' की धारा 12, जो अन्य सभी कानूनों को अधिरोहित करती है, के मद्देनजर, उत्तरदाता द्वारा दिनांक 31.08.2022/13.10.2022 को लिए गए निर्णय (बिंदेश्वर सिंह बनाम प्रखंड विकास अधिकारी, घोड़ासहन) चुनाव विवाद वाद सं. 203/2020 (अनुलग्नक-पी/7) और साथ ही दिनांक 13.09.2023/31.10.2023 को समीक्षा वाद सं. 11/2023 (कुश कुमार बनाम बिंदेश्वर

सिंह एवं अन्य) (अनुलग्नक-पी/8) में पारित समीक्षा के अस्वीकार को रद्द किया जाना चाहिए।

31. भारत संघ और अन्य बनाम बख्शी राम ए.आई.आर. 1990 एस सी. 987 में रिपोर्ट किये मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनु -13 में निम्नलिखित रूप में कहा है:

13. इस प्रकार धारा 12 स्पष्ट है और यह केवल यह निर्देश देती है कि अपराधी को "इस तरह के कानून के तहत अपराध के दोषसिद्धि के साथ जोड़कर, यदि कोई हो, तो अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।" इस संदर्भ में ऐसा कानून अन्य कानून है जो दोषसिद्धि के कारण अयोग्यता का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कानून किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करने के लिए या उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए किसी प्राधिकरण या निकाय के लिए चुनाव की मांग करने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है, तो धारा 12 के आधार पर वह अयोग्यता हटा दी जाती है। वास्तव में यह अधिनियम की धारा 12 का दायरा और प्रभाव है। लेकिन यह कहना एक ही बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वह अच्छे आचरण के परीक्षा का लाभ प्राप्त करने पर बहाली का हकदार है। जाहिर तौर पर, इस तरह के दृष्टिकोण का धारा 12 की शर्तों द्वारा कोई समर्थन नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

32. यह सच है कि जहां तक 2019 के चुनाव का संबंध है, उत्तरदाता जिला

सहकारी अधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जिसके द्वारा पैक्स को हटा दिया गया है, द्वारा पारित ज्ञापन 2988 दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से आए नए विकास के अनुसार, मामले को अब केवल शैक्षणिक हित मिला है। हालांकि, इस मामले में एक आदेश भविष्य के चुनाव में याचिकाकर्ता के भाग्य का फैसला करेगा।

33. राज्य का रुख पहले ही दर्ज किया जा चुका है और उन्होंने इस निर्णय को उचित ठहराया है। उत्तरदाता सं. 9 हालांकि उन्होंने जवाबी हलफनामा दायर किया है जो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि 1958 के अधिनियम की धारा 12 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए, एक व्यक्ति जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3 या 4 का लाभ दिया गया है, अयोग्यता, उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगी।

34. '1958 अधिनियम' की धारा 12 को शामिल किया गया है और यह बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी किसी अपराध का दोषी पाया गया है और 'उक्त अधिनियम' की धारा 3 या 4 के प्रावधानों के तहत निपटा गया है, उसे उक्त धारा के तहत अपराध की सजा से जुड़ी कोई अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा।

35. इसके अलावा, **भारत संघ** और अन्य (उपरोक्त) के मामलों से निपटने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि '1958 अधिनियम' की धारा 12 किसी भी अन्य कानून को अधिभावी करती है जो किसी भी पद पर नियुक्त होने या उसकी दोषसिद्धि के मद्देनजर किसी भी प्राधिकरण या निकाय के लिए चुनाव की मांग करने के लिए अयोग्यता दर्ज करती है।

36. इस प्रकार यह न्यायालय मानता है कि याचिकाकर्ता को '1958 अधिनियम' की धारा 3 का लाभ दिए जाने के कारण, उसी अधिनियम की धारा 12 को देखते हुए, उस पर 'पैक्स' का चुनाव लड़ने के लिए कोई रोक नहीं है/थी क्योंकि वह नामांकन दाखिल करने के लिए अयोग्य नहीं था।

37. उपरोक्त तथ्यों और '1958 अधिनियम' के प्रावधानों को ध्यान में रखते

हुए, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य (उपरोक्त) में दिए गए आदेश के रूप में समर्थन प्राप्त है, विद्वान संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियां, बिहार, पटना (अनुलग्नक-पी/7) द्वारा पारित दिनांक 31.08.2022/13.10.2022 का आदेश और दिनांक 31.10.2022 का समीक्षा आदेश रद्द किया जाता है। चूँकि 'पैक्स' का स्थान ले लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को उस पद पर पुनः बहाल नहीं किया जा सकता जिस पर वह कार्यरत था। हालाँकि, भविष्य में 'अधिनियम' की धारा 3 के तहत उसे लाभ दिए जाने के कारण उसे किसी भी चुनाव में भाग लेने से कोई रोक नहीं होगी।

38. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

रवि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।